सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेसनोट दिनांक 10.05.2026

- **इटावा पुलिस द्वारा हर्ष फायरिंग करने वाले अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 01 राइफल 315 बोर (लाइसेंसी राइफल), 01 अवैध देशी पिस्टल 32 बोर, 01 जिंदा कारतूस 32 बोर किये गये बरामद।**

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी सैफई के नेतृत्व में थाना चौबिया पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी सर्वेश सिंह पुत्र लालाराम निवासी ग्राम नगला सिंह मौजा मनिगांव, थाना चौबिया जनपद इटावा द्वारा थाना चौबिया पर तहरीर दी कि दिनांक 08.05.2026 प्रार्थी के परिवार में विवाह समारोह था इसी दौरान रात्रि लगभग 01:00 बजे दूल्हा पक्ष के साथ आए सुदेश कुमार पुत्र रघुवीर सिंह एवं अशोक कुमार पुत्र सोवरन सिंह निवासी ग्राम नगला केहरी, थाना बेवर जनपद मैनपुरी द्वारा अवैध शस्त्रों से फायरिंग की गई। फायरिंग में प्रार्थी का पुत्र आयुष कुमार कमर में गोली लगने से घायल हो गया। सूचना पर **थाना चौबिया पर मु0अ0सं0 71/2026 धारा 109(1)/351(3)/ बीएनएस व धारा 30 आयुध अधिनियम** पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध/आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 10.05.2026 को थाना चौबिया पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी। इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार वांछित/प्रकाश में आये 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 71/2026 धारा 109(1)/351(3) बीएनएस व 3/25/27/30 आर्म्स एक्ट थाना चौबिया जनपद इटावा।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. सुदेश कुमार पुत्र रघुवीर सिंह निवासी ग्राम नगला केहरी पोस्ट गढ़िया जिनकौरा थाना बेवर जनपद मैनपुरी उम्र करीब 32 वर्ष।
2. आदेश कुमार पुत्र रघुवीर सिंह निवासी ग्राम नगला केहरी पोस्ट गढ़िया जिनकौरा थाना बेवर जनपद मैनपुरी उम्र करीब 40 वर्ष।

बरामदगीः-

1. 01 राइफल 315 बोर (लाइसेंसी)
2. 01 अवैध देशी पिस्टल 32 बोर
3. 01 जिंदा कारतूस 32 बोर

पुलिस टीम- थानाध्यक्ष चौबिया श्री महेन्द्र सिंह, उ0नि0 मान सिंह, का0 रवि कुमार, का0 आनन्द पाल, का0 अमनदीप।